

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 955] No. 955] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2007/श्रावण 11, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2007/SRAVANA 11, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2007

का.आ. 1351(अ),—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4 जनवरी, 2007 की सा.का.आ. 8(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीखं से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपित्तयां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए तथा यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खंड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

''प्लाट सं. 12, राजपुरा रोड (जोन 'सी') में 4.4 एकड़ के क्षेत्रफल के निम्नलिखित भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है '':—

क्षेत्रफल का ब्यौरा	क्षेत्रफल एकड् में	से	में ·	
उत्तर-पश्चिम में मनोरंजक क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व में एमसीडी कर्मचारी आवास दक्षिण-पूर्व में राजपुर रोड और दक्षिण-पश्चिम में एमसीडी कर्मचारी आवास से घिरा।	4.4	'' रिहायशी''	सार्वजनिक सुविधाएं जि	एफएआर 75 वाली' और अर्द्धसार्वजनिक समें (सेना विधि संस्थान) 25 प्रतिशत और ऊँचाई

[सं. के-13011/16/2005-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2007

- S.O. 1351(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 8(E), dated 4th January, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for De¹hi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

"The land use of the following area measuring 4.4 acre of land at plot no. 12, Rajpur Road (Zone 'C') is changed as per description listed below:—

Description of Area	Area in Acre	From	То
Area bounded by Recreational in the North-West, MCD's Staff Housing in the North-East, Rajpur Road in the South-East and MCD staff housing in the South-West.		'Residential'	"Public & Semi-Public Facilities (Military Law Institute)" with a maximum FAR of 75, Ground Coverage 25% and Height 11 Mtr."

[No. K-13011/16/2005-DDIB] P. K. SANTRA, Under Secy.